परिशिष्ट 'इक्यावन' [30/11/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 975]

परिशिष्ट -"31"

(ख) अध्यक्ष : नगरपालिका परिषद् की दशा में 50,000 रुपये तक तथा नगर पंचायत की स्थिति में 25,000 रुपये तक स्वीकृत किए जाएंगे.

(ग) प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल : नगरपालिका परिषद् की दशा में 2 लाख रुपये तक तथा नगर पंचायत की दशा में 1 लाख रुपये तक स्वीकृत किए जाएं.

(घ) **नगरपालिका/नगर पंचायत की परिषद् :** पूर्ण शक्तियां

(दो) जबकि निर्माण की लागत तथा सामग्री के क्रय पूर्णतः या अंशतः राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से होने हो, प्रशासकीय अनुमोदन राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिया जावेगा.

टिप्पणी- महत्वपूर्ण प्रकार के नये भवनों के मामले में प्रशासकीय अनुमोदन देने वाला प्राधिकारी, प्रशासकीय अनुमोदन देने के पूर्व ऐसे निर्माण कार्य के अंतिम विस्तृत रेखांक और प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निदेश दे सकेगा ।]

अधिसूचना

क्र. 15-एफ 1-07-07-अठारह-3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 345 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका लेखा नियम, 1971 के नियम 131 के उप नियम (3) के खण्ड (दो) के अधीन की अपनी शक्तियां, निम्न सारणी में उल्लिखित प्राधिकारियों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रयोग करने के लिए प्रत्यायोजित करती है:

सारणी

अनुक्रमांक	प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा
1.	नगर पंचायत	पांच लाख रुपये तक
2.	नगरपालिका परिषद्	दस लाख रुपये तक
3.	कलेक्टर	पचास लाख रुपये तक
4.	संभागीय आयुक्त	एक करोड़ रुपये तक
5.	संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास	पूर्ण शक्तियां

132. (1) रेखांक और प्राक्कलनों का वृत्तिक अनुमोदन या तकनीकी अनुमोदन—

(एक) निर्माण कार्यों के सभी प्राक्कलन (प्ररूप 86) निम्नानुसार तैयार किये जायेंगे :—

(क) प्रशासकीय अनुमोदन के लिए लाईन-रेखांक और न्याधार क्षेत्र सहित प्रारम्भिक प्राक्कलन।

(ख) वृत्तिक अनुमोदन के लिए अंतिम विस्तृत रेखांक एवं प्राक्कलन।

टिप्पणी— (1) उन कार्यों के लिए जिनके मानक रेखांक चित्र विद्यमान हैं प्राथमिक प्राक्कलन आवश्यक न होगा।

[1][**टिप्पणी—** (2) विलुप्त।

[1][**टिप्पणी—** (2)] जिन कार्यों का व्यय रुपये 2,500 से अधिक नहीं है, केवल विस्तृत प्राक्कलन ही सामान्यतः तैयार किये जावेंगे।

[1][(दो) अंतिम विस्तृत रेखांक और प्राक्कलनों का तकनीकी एवं वृत्तिक अनुमोदन देने की शक्ति निम्नलिखित प्राधिकारियों में निहित होगी:—

(क) नये कार्यों के लिये :

अनुक्रमांक (1)	प्राधिकारी (2)	शक्तियां (3)	शर्तें (4)
1.	मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्तियां	यदि प्राक्कलन की रकम किये
2.	अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	एक करोड़ रुपये तक	गये प्रशासकीय अनुमोदन के
3.	सहायक यंत्री	पांच हजार रुपये तक	20 प्रतिशत से अधिक या कम

1. अधिसूचना क्र. 15-एफ-1-07-07-अठारह-3, दिनांक 20-6-2007 द्वारा विलुप्त/पुनःक्रमांकित/प्रतिस्थापित।

Executive Engineer
Urban Administration and Devel...
M.P. BHOPAL

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग